UPAU120007932016

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, औरैया।

उपस्थित : प्रवीण सिंह (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) J.O. Code : UP3441

मूलवाद संख्या–46/2016

पुत्तूलाल बनाम हरनाम सिंह आदि।

दिनांक–18.11.2024

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग मय शपथ पत्र 7ग व आपत्ति का0सं0 20ग पर पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या–6ग

वादी का प्रार्थना पत्र का0सं0 6ग मय शपथ पत्र का0सं0 7ग के कथानक के अनुसार वादी विवादित प्लाट जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है, का मालिक काबिज व दखील है, जो उसने विवादित प्लाट के असल मालिक पूर्व में बाबूराम पुत्र श्री रघ ुवरदयाल से सन् 1990 में क्रय किया था। बाबूराम पुत्र श्री रघुवर दयाल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रगण रामनरायन, सोवरन सिंह ने विवादित प्लाट पर कब्जा नाजायज करने की कोशिश की, तो वादी द्वारा दिनांक 05.02.2014 को न्यायालय सिविल जज जू0डि0, बिधूना में मूलवाद सं0–70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा दायर अदालत किया गया था कि, जिसमें दिनांक 18.01.2015 को वादी व प्रतिवादीगण के मध्य समझौता हो जाने के कारण मुकदमा समाप्त करा लिया गया था। प्रतिवादीगण का विवादित प्लाट से कोई मतलव वास्ता व सरोकार कभी नहीं रहा है और न है, लेकिन प्रतिवादीगण, वादी के विवादित प्लाट पर कब्जा नाजायज करना चाहते हैं। अतः वाद पत्र व प्रार्थना पत्र 6ग में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं0–6ग पर अपनी आपत्ति कागज संख्या–20ग मय शपथ पत्र 21ग प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी आपत्ति में कथन किया गया कि वादी विवादग्रस्त सम्पत्ति का हरगिज मालिक, काबिज व दखील नहीं है। विवादित प्लाट प्रतिवादीगण और अन्य सहमालिकान के संक्रमणीय अधिकारों वादी भूमि नम्बर 638 का जुज उत्तरी–पश्चिमी कोने का भाग है, जो उन्हें विरासत प्राप्त हुई है। विवादित प्लाट में वादी का कोई लेना–देना नहीं है। वाद संख्या 70/2014 वादी द्वारा उनके मेल–जोल के लोगों द्वारा दिखावटी व बनावटी मुकदमा आपस में साज करके प्रतिवादीगण की जगह को अपनी बताकर दाखिल किया गया था और निर्धारित समय में समझौता दाखिल कर दिया गया, जब प्रतिवादीगण ने वाद संख्या 70/2014 में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी प्रति वादी को प्राप्त करायी गयी। मूलवाद संख्या 70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि दिनांक 20.08.2014 को अदम पैरवी में खारिज करा दिया गया। वर्तमान में विवादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रतिवादीगण का कब्जा दखल है। वादी का कोई कब्जा दखल नहीं है। वादी का प्रथम दृष्टय केस कतई साबित नहीं है और सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में नहीं

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2024.11.19 10:31:13 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM, Outlying Court, Bidhuna

है और न ही उसे कोई क्षति व नुकसान निषेधाज्ञा दौरान वाद जारी न होने से ही है। अतः उपरोक्त आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र 6ग खारिज किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची कागज सं0–11ग से मूलवाद सं0–70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि में दाखिल समझौता पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0–12ग/2, मूलवाद सं0–70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि के वादपत्र मय नक्शा नजरी की सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0–13ग/2 ता 13ग/6, सूची कागज सं0–38ग से मूलवाद सं0–70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि में पक्षकार बनाये जाने के बावत प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.09.2014 की प्रतिलिपि कागज सं0–39ग, थाना प्रभारी अछल्दा को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.02.2016 की प्रतिलिपि कागज सं0–41ग, सूची कागज सं0–67ग से उद्धरण खतौनी बावत गाटा सं0–636 रकवा 0.0450 हेक्टेयर व गाटा सं0–637 रकवा 0.0770 हेक्टेयर ग्राम अछल्दा शहरी परगना व तहसील बिधूना जिला औरैया की सत्यापित प्रतिलिपि कागज स0–68ग, मूलवाद सं0–70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि में पक्षकार बनाये जाने के बावत प्रार्थना पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0–89ग, इकरारनामा दिनांकित 20.07.1990 की प्रतिलिपि कागज सं0–90ग, सूची कागज सं0–105ग से राजस्व नक्शा नजरी ग्राम अछल्दा शहरी परगना व तहसील बिधूना जिला औरैया की प्रतिलिपि कागज सं0–106ग, सूची कागज सं0–115ग से नकल जो0च0 आकार पत्र–45 ग्राम अछल्दा परगना व तहसील बिधूना जिला औरैया की सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0–116ग से दाखिल किये गये।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची कागज सं0–22ग से उद्धरण खतौनी बावत गाटा सं0–638ख रकवा 0.1660 हेक्टेयर व गाटा सं0–639ख रकवा 0.1980 हेक्टेयर ग्राम अछल्दा शहरी परगना व तहसील बिधूना जिला औरैया की सत्यापित प्रतिलिपि कागज स0–23ग/1, इन्तखाव खसरा बावत गाटा सं0–638 व गाटा सं0–639 ग्राम अछल्दा शहरी परगना व तहसील बिधूना जिला औरैया की सत्यापित प्रतिलिपि कागज स0–24ग, राजस्व नक्शा नजरी ग्राम अछल्दा शहरी परगना व तहसील बिधूना जिला औरैया की प्रतिलिपि कागज सं0–25ग, उपजिलाधिकारी महोदय बिधूना औरैया को गाटा सं0–638क में अवैध हस्तक्षेप रोकने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.02.2016 की प्रतिलिपि कागज सं0–26ग/1, मूलवाद सं0–70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि के आदेश पत्र दिनांकित 20.08.2015 की सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0–27ग/2, मूलवाद सं0–70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि की स्थल निरीक्षण आख्या मय नक्शा नजरी की सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0–28ग/2 ता 28ग/4, सूची कागज सं0–44ग से बल्लू फोटो स्टूडियों द्वारा जारी रसीद कागज सं0–45ग, फोटोग्राफ् मेला कार्यालय कागज सं0–46ग, चार किता फोटोग्राफ्स विवादित स्थल कागज सं0–47ग/1 ता 47ग/4, मूलवाद सं0–70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि में तलाश पता कागज सं0–48ग, उद्धरण खतौनी बावत गाटा सं0–636 रकवा 0.0450 हेक्टेयर व गाटा सं0–637 रकवा 0.0770 हेक्टेयर ग्राम अछल्दा शहरी परगना व तहसील बिधूना जिला औरैया की सत्यापित प्रतिलिपि कागज स0–49ग, मूलवाद सं0–366/1987 विशम्भर सिंह आदि बनाम टाउन एरिया अछल्दा आदि के वादपत्र मय नक्शा नजरी की सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0–50ग/2 ता 50ग/6, मूलवाद सं0–366/1987 विशम्भर सिंह आदि बनाम टाउन एरिया अछल्दा आदि में अमीन आख्या की सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0–50ग/2 ता 50ग/3 दाखिल किये गये।

पत्रावली पर अमीन कमीशन रिपोर्ट मय नक्शा नजरी कागज सं0–43ग/1 ता 43ग/2 उपलब्ध है, जिसे साक्ष्य के अधीन पुष्ट किया जाता है।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अस्थाई व्यादेश का अनुतोष पाने हेतु वादी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था **Gujrat Bottling Co. Ltd.V. Coca Cola Company 1995(5) SCC 545** में दिये गये प्रतिस्थापित सिद्धांतों के प्रकाश में निम्नलिखित तथ्यों को साबित करने का भार है।

1– प्रथम दृष्टया वाद का होना।

2– सुविधा का संतुलन होना।

3– वादी को अपूर्णनीय क्षति का होना।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **आनंद प्रसाद अग्रवाल बनाम तारकेश्वर प्रसाद (2002) 93 आर0डी0 675** में अभिनिर्धारित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय द्वारा मिनी ट्रायल करना उचित नहीं है।

<u>प्रथम दृष्टया वाद का होना :–</u>

जहां तक प्रथम दृष्टया मामले का प्रश्न है, तो उसके सम्बन्ध में वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 6ग में यह कथन किया गया कि वह विवादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक काबिज है। उसके द्वारा सूची का0सं0 11ग से प्रपत्र का0सं0 12ग तथा 13ग दाखिल किये गये है, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि का0सं0 13ग वाद संख्या 70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि के वाद पत्र की सत्यप्रतिलिपि, का0सं0 12ग मूलवाद सं0–70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि में उभयपक्ष द्वारा दाखिल समझौता पत्र की सत्यप्रतिलिपि है। वादी द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि नम्बर पर अपने कब्जे के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आपत्ति के साथ सूची का0सं0 22ग के जरिये ''एक किता सत्यप्रतिलिपि मूलवाद सं0–70/2014 पुत्तूलाल बनाम रामनरायन आदि की स्थल निरीक्षण आख्या का0सं0 28ग/2 ता 28ग/4 न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह अमीन कमीशन आख्या दिनांक 01.07.2014 की है एवं उक्त आख्या के अनुसार विवादित स्थल एक बड़े परती भूमि के छोटे से हिस्से के रुप में है, जिसके कुछ हिस्से की भूमि ऊंची है तथा परती सम्पूर्ण भूमि में पशु मेला लगता है। विवादित स्थल देखने में उसी भूमि का हिस्सा ही प्रतीत होता है।'' प्रतिवादीगण द्वारा सूची 44ग के जरिये का0सं0 50ग/2 ता 50ग/6 मूलवाद सं0–366/1987 विशम्भर सिंह आदि बनाम टाउन एरिया अछल्दा आदि के वादपत्र मय नक्शा नजरी की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी है, जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया किया। सर्वे कमीशन रिपोर्ट का0सं0 51ग/3 के निष्कर्ष के अनुसार संलग्न नक्शा पर की गयी मैप तथा स्पॉट प्लाटिंग के आधार पर वादग्रस्त कमरा टी.आर.एस.यू. तथा कमरे के आगे स्थित चबूतरा गाटा संख्या 638 में पाया जाता है। इस मूलवाद संख्या 46/2016 में दाखिल अमीन रिपोर्ट का0सं0 43ग/1 के अनुसार विवादग्रस्त प्लाट अमीन रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर ए,बी,सी,डी से प्रदर्शित भाग में चारों भुजाओं पर 17 रद्दों की पक्की दीवार बनी है तथा अक्षर ई,एफ,सी,डी से दर्शित भाग खुली जगह के रुप में है। वादी द्वारा विवादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि वादी का विवादित सम्पत्ति पर कब्जा दखल है। वादी द्वारा विवादित प्लाट को उसके असल मालिक पूर्व में बाबूराम पुत्र श्री रघुवरदयाल से सन् 1990 में क्रय किया जाना बताया गया है, वह विक्रय पत्र भी उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वादी विवादित प्लाट जिसे संलग्न नक्शा वाद पत्र में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया, के सम्बन्ध में अपना प्रथम दृष्टय वाद साबित करने में असफल रहा है।

2. सुविधा का संतुलनः–

जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है, तो यह अवलोकनीय है कि वादी प्रथम दृष्टया अपना वाद साबित करने में असफल रहा है। अतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है।

3. अपूर्णनीय क्षतिः–

प्रस्तुत वाद में चूंकि प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं पाया गया है। अतः वादी को अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **काशी मठ संस्थान बनाम श्रीमद सुधीन्द्र स्वामी व अन्य AIR 2010 SC 296** में अवधारित किया गया है कि "It is well settled that in order to obtain an order of injunction, the party who seeks for grant of such injunction has to prove that he has made out a prima facie case to go for trial, the balance of convenience is also in his favour and he will suffer irreparable loss and injury if injunction is not granted. But it is equally well settled that when a party fails to prove prima facie case to go for trial, question of considering the balance of convenience or irreparable loss and injury to the party concerned would not be material at all, that is to say, if that party fails to prove prima facie case to go for trial, it is not open to court to grant injunction in his favour even if he has made out case of balance of convenience in his favour and would suffer irreparable loss and injury if no injunction order is granted."

प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में न्यायालय का यह मत है कि वादी अपना प्रथम दृष्टया वाद साबित करने में असफल रहा है। इसीलिए उपरोक्त तथ्यों व विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए वादी का प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त होने योग्य है।

आदेश

वादी का प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त किया जाता है। तद्नुसार प्रतिवादीगण की आपत्ति 20ग निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते तनकी विरचन हेतु दिनांक 16.12.2024 को पेश हो।

दिनांक 18.11.2024

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया
J.O. Code : UP3441